बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:: आदेश ::

पटना—15, दिनांक—**14.02.2020**

राजधानी क्षेत्र, पटना में हुए जल—जमाव के कारण आदि की जाँच हेतु बिहार सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन में श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा.प्र.से. (बिहार:2007), तदेन प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना को भी आलोच्य जल—जमाव की स्थिति के लिए उत्तरदायी माना गया है।

2. उच्च स्तरीय जाँच समिति द्वारा आलोच्य जल—जमाव की अवधि में 39 ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों (संप हाउसों) के लिए डीजल की समयबद्ध आपूर्ति नहीं करने, खराब पम्पिंगसेटों/ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मति की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करने और जल—जमाव की समस्य से निबटने के लिए प्रशिक्षित मानव—बल की कमी को दूर नहीं करने के लिए श्री सिंह को उत्तरदायी माना गया है। श्री सिंह की प्रासंगिक कमियों को समिति द्वारा उनकी कमजोर नेतृत्व क्षमता के रूप में निरुपित किया गया है।

3. अतएव, विषय की गंभीरता को दृष्टिगत करते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम—3 के उप नियम—1 में निहित प्रावधान के तहत श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा.प्र.से. (बिहार:2007), तदेन प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/सम्प्रति प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।

3. राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन की अवधि में श्री सिंह को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम—4 के अधीन मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :—6/आ.—21/2020—सा.प्र.—**2369** /पटना—15, दिनांक—**14.02.2020**

प्रतिलिपि :— श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा.प्र.से.(बिहार:2007), प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :—6/आ.—21/2020 सा.प्र.—**2369/**पटना—15, दिनांक—**14.02.2020**

प्रतिलिपि :—सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना /अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :–6/आ.–21/2020 सा.प्र.–**2369/**पटना–15, दिनांक–**14.02.2020**

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थापना पदाधिकारी, कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव कोषांग (कम्प्यूटर सेल) पटना/पटना सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/जिला कोषागार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के प्रशाखा–01/प्रशाखा–06 (निलम्बन समीक्षा पटल हेतु)/विभागीय आई. टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :–6/आ.–21/2020 सा.प्र.–**2369/**पटना–15, दिनांक–**14.02.2020**

प्रतिलिपि :–उप सचिव, ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. के साथ गजट में प्रकाशनार्थ।

14.2.2020

सरकार के अवर सचिव